

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी, 2021 (माघ 8, 1942)

माननीय डॉ. रमन सिंह, सदस्य एवं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल,
सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (नगर) रायपुर की ओर से यह सूचना दी गई है कि -
मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा
151/107, 116 (3) के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय डॉ. रमन सिंह, सदस्य
तथा माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य को दिनांक 22.01.2021 को अपराहन 4:00
बजे गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2021 को ही अपराहन 4:05 बजे रिहा कर दिया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.